

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

अशोक कुमार मीना पुत्र श्री किशनलाल मीना निवासी झुरावतों की ढाणी, ग्राम रेटा
तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान-303304

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सिकराय

अपील संख्या 117/2022

निर्णय

दिनांक 27.10.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सिकराय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सिकराय को प्राप्त पत्रादि की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांत को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सिकराय से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सिकराय को पत्र क्रमांक: डीएम कोर्ट/2022/2431 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा अपीलांत को वांछित सूचना अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सिकराय द्वारा पत्र क्रमांक: आरटीआई/2022/519 दिनांक 18.10.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांत को सूचना की वस्तुस्थिति से दिनांक 6.10.2022 को ही अवगत करा दिया गया है। उक्त पत्रादि की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांत को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।



(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

